

Constitution of Autonomous Bodies

STATUTE NO. 35

Autonomous College

[Refer Section 6 (16) and Section 24 (viii)]

1. An 'Autonomous College' means a Teaching Department of the University/ Schools of Studies or College affiliated to the University, declared as such by the Executive Council.

Provided that the extent of the autonomy which each such Teaching Department of the University School of Studies or Colleges may have and the matter in relation to which it may exercise such autonomy shall be as prescribed in the Statute hereinafter.

Objective of Autonomy :

2. (1) To bring about radical changes with the concept of new educational policy, the autonomous colleges will have the freedom to :
- determine its own courses of study and syllabi;
 - prescribe rule of admission, subject of course to the reservation policy of the State Government, and
 - evolve methods of evaluation and to conduct examinations.
- (2) The autonomy shall rather be a means to achieve higher standards and greater creativity in the future. For the time being, the parent University of an autonomous college will continue to confer degrees upon the candidates declared eligible, on successful completion of the prescribed syllabi and valuation by the autonomous colleges. An autonomous college will thus be fully accountable for the content and quality of education that it imparts. It will be responsible for evaluation of the students for awards of degree which will be accepted by the parent University.
- (3) Promotion of National Integration will be an important feature of the autonomous colleges through their academic programme and other activities.
3. The University shall have power to confer degrees, titles, diplomas and other academic distinctions on persons who shall have pursued an approved course of study in an autonomous college and to designate any college as an autonomous college with the concurrence of the State Government in the manner and under conditions prescribed and to cancel such designation.
4. The Executive Council shall have power to prescribe in consultation with the Academic Council the manner in which and the conditions subject to which a college may be designated as an autonomous college and such designation may be cancelled.
5. The Executive Council shall have power to designate any college as an autonomous college with the concurrence of the State Government and to cancel such designation.

6. The Statutes may provide for the manner in which the conditions subject to which a college may be designated as an autonomous college or the designation of such college may be cancelled and the matters incidental to the administration of autonomous college including the constitution or reconstitution, powers and duties of Academic Council, Staff Councils, Boards of Studies and Boards of Examiners.
7. The Executive Council shall not propose the draft of any Statute or of amendment to Statute affecting the conditions of affiliation or approval of affiliated or approved college with the University or by the University, as the case may be or affecting of the conditions of designation of any college as an autonomous college, except after consultation with the Academic Council.
8. The Executive Council may confer the status of autonomy on an affiliated college to conduct specified course of studies subject to the conditions set forth below.
9. (a) An affiliated college have not less than ten years of standing and accorded permanent affiliation will be eligible for the conferment of autonomy to conduct specified courses of studies.
- (b) An autonomous college shall offer instruction only up to degree, post-graduate and M.Phil. courses.
- (c) An autonomous college will have autonomy in the following matter:
 - (i) framing syllabus, course contents, adopting the University general pattern. The course contents and pattern should be framed in such a manner so as to avoid the existing staff as surplus for redeployment;
 - (ii) arranging for instruction to students;
 - (iii) devising methods of evaluation, examinations and tests pertaining to the award of the degree/diploma by the University; and
 - (iv) admission of students, in respect of courses of studies for which "autonomy" is conferred.
- (d) The autonomous college shall have power to make rules or bye-laws not inconsistent with the M.P.Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 and the laws framed thereunder for purposes of securing the objectives for conferring the status of autonomy to the colleges.

10 ✓

There shall be a Governing Body of the college consisting of the following persons :

(I) **Composition :**

- (i) Three members to be nominated for a period of two years by the Management of the college of whom one will be the Chairman.
The persons so nominated shall include at least one outstanding educationist / Scientist / Jurist / Management Expert.
- (ii) Two Senior most teachers of the college to be nominated in rotation according to seniority, by the Principal for a period of two years.
- (iii) One nominee of the University not below the rank of Professor;

- (iv) One nominee of the State Government; and
- (v) One nominee of the University Grands Commission.
- (vi) The Principal of the College. - Ex-officio Member-Secretary.

2. Term :

The term of the nominated members at (i) to (v) shall be for a period of two years and the same persons except for members at (ii) shall be eligible for re-nomination for another term.

3. Meeting :

The Governing Body shall meet at least thrice a year.

4. Functions :

The Governing Body shall have powers to :

- (a) lay down service conditions, emoluments, travelling allowances for the teaching and non-teaching staff in the college;
- (b) lay down procedure for selection/recruitment of teaching/non-teaching staff and to appoint the same in the college;
- (c) regulate and enforce discipline among members of teaching and non-teaching staff in accordance with the rules/procedure laid down in this regard;
- (d) invest any money belonging to the college in stocks, funds, shares or securities as it shall from time to time, think fit or in the purchase of immovable property;
- (e) transfer or accept transfer of any movable or immovable property of the college;
- (f) fix the fees and other charges payable by the students of the college on the recommendation of the Academic Council and after obtaining advice of the Finance Committee;
- (g) entertain, adjudicate upon and if thought fit constitute a committee for advice to redress the grievances of the members of staff of the college;
- (h) delegate administrative and financial powers to the Principal and other functionaries in the college for its smooth functioning;
- (i) institute scholarships, fellowships, studentships, medals, prizes and certificates on the recommendation of the academic council;
- (j) accept endowments for specific purposes;
- (k) approve institution of new programmes of study leading to degrees and/or diplomas,
- (l) approve annual report of the college, and
- (m) perform such other functions and institute Committee as may be necessary and deemed fit for the proper development and to fulfil the objectives for which the college was established and the national concern.

11. (1) The autonomous college shall set up Boards of studies in the subjects concerned and an Academic Council.
- (2) The decision of the Academic Council constituted under the preceding Statute on academic matter shall generally be implemented by the Managing Body of the college on which there shall be a representative of the University.
- (3) The Boards of Studies shall consist of :
- (i) Head of the Department of the subject in the University or his/her nominee;
 - (ii) Head of the Department of the subject concerned in the college;
 - (iii) All Faculty Members of that subject in the college;
 - (iv) Not more than 3 experts from outside the College/University. The University will prescribe qualification to restrict the number of members under this category with reference to the number of year of service etc.
- (4) The Governing Council will have a nominee of the University and the Director of Collegiate Education/Director of Technical Education or his/her nominee besides two faculty members of the College by rotation according to seniority.
- (5) The Board of Studies set up by the autonomous college shall have external experts including an expert from the University.
- (6) (a) The Academic Council constituted by the autonomous colleges shall involve faculties of the college at all levels and a specialist appointed by the University and the decisions taken by the body will not be subject to any further ratification by the Academic Council of the University or any other statutory bodies.
- (b) The Academic Council shall consist of ;
- (i) Principal of the College - Chairman
 - (ii) All Heads of Departments;
 - (iii) One Professor from each of the Department by rotation for a period of one year according to seniority;
 - (iv) One Assistant Professor from each Department by rotation for a period of one year according to seniority;
 - (v) Three University representatives one from Science Faculty, One from Arts Faculty and one from Humanities Faculty.
 - (vi) Director of Collegiate Education/Director of Technical Education or his/her nominee;
 - (vii) The Chairman and the Secretary of the Governing Council. In the absence of the Principal, the Principal in-Charge will be the Chairman of the Academic Council.
12. There shall be a Finance Committee consisting of the following:
- (i) The Principal - Chairman;

- (ii) One person to be nominated by the Governing Body of the College for a period of two years;
- (iii) One senior-most teacher of the college to be nominated in rotation by the Principal for two years ;
- (iv) One nominee of the University, not below the rank of Deputy Registrar.

The Finance Committee will be an advisory body to the Governing Body and will meet at least twice a year. All proposals relating to creation of posts, sanction of capital expenditure, annual accounts, financial estimates and audit reports shall be laid before the Finance Committee for advice/recommendations to the Governing Body/Board of Management.

13. There will be a Planning and Evaluation Committee consisting of the following :-

(1) **Composition :**

- (i) The Principal of the College : Chairman
- (ii) Two Heads of Departments to be nominated by rotation, in order of seniority by the Principal;
- (iii) Two expert nominee of the University;
- (iv) One Expert from outside the College/University to be nominated by the Governing Body/Board of Management;
- (v) Librarian of the college;
- (vi) One teacher other than Head of Department to be nominated by rotation in order of seniority by the Principal;
- (vii) One non-teaching member of staff to be nominated by rotation in order of seniority by the Principal
- (viii) One postgraduate any one under-graduate student to be nominated by the Principal on the basis of academic performance, and
- (ix) One outstanding sportsman/woman of the college.

2. **Term :**

The term of the nominated members will be two years. The expert nominee of the university and the governing Body/Board of Management will be eligible for renomination.

3. **Meeting :**

The Committee may meet at least twice a year.

4. **Functions :**

The Committee will advise the Principal, the Governing Body and the Academic Council on :

- (a) the plans for development of the college and measures necessary to check deterioration in the standards of teaching and disciplines in the college;
- (b) on ways and means to implement different programme, and the general welfare activities in regard to the staff and students; and

- (c) measures necessary for general improvement in the working of the college.
14. Admission of students to courses of studies offered by the autonomous college shall conform to the minimum qualification laid down by the University for the courses of study concerned, subject to rules of reservation of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes backward classes as laid down by the State Government from time to time.
 15. The University shall have power to confer degrees, title diplomas and other academic distinctions on persons who shall have pursued an approved course of study in an autonomous college. The name of the autonomous college shall however be indicated in the diploma issued to candidates.
 16. (a) An affiliated college may be conferred the status of autonomy for a period not exceeding five years in first instance, subject to review of the functioning of the college at the end of three years.
(b) It shall be competent for the Executive Council to extend the period beyond five years on an application made by the college.
 17. The executive Council shall have power to revoke the autonomy conferred at any time after scrutiny and after - giving due notice of such intention to the college concerned before the expiry of the period in the case of deteriorating standard or for any other good cause.
 18. (a) Notwithstanding the conferment of an autonomous status on any affiliated college, all provision of the Act, the Statutes, the Ordinances and the regulation except University shall be applicable to the college except those relating to matters to specified on these statutes. The University shall continue to exercise its general power of supervision over such a college.
(b) The University shall have power to constitute an Advisory Body to monitor the functioning of these colleges.
 19. The Executive Council shall decide from time to time on the invitation to colleges to apply for autonomous status in prusance of which, the Registrar after scrutiny shall place all such applications before the Executive Council for consideration and the Executive Council, shall decide on the applications according to the criteria specified for the purpose.
 20. The College shall pay to the University a fee of Rs. 5000/- alongwith the application for grant of autonomous status.
 21. The Executive Council will make such enquiries as may be necessary with regard to the applications for autonomy and in consultation with the State Govt. make its decisions on the basis of such enquiries.

Rules of Paper Setters

STATUTE NO. 29

Appointment of Examiners (Refer Section 44)

1. In this Statute :
 - (i) 'Internal Examiner' means :
 - (a) in case of theory paper, an examiner including a paper-setter who is a teacher in a University Teaching Department, School of Studies or College maintained by or affiliated to the University.
 - (b) in case of practical and viva-voce examination, an examiner who is a teacher in the Institution whose candidates are being examined at the examination centre.
 - (ii) 'External Examiner' means an examiner other than an internal examiner.
 - (iii) 'Co-Examiner' means an examiner in a written paper other than the paper-setter.
2. The office of the Registrar shall prepare for every subject, an institution-wise list of names of persons qualified for appointment as examiners. The list shall be in two parts, the first part containing the names of persons working as teachers in the University Teaching Departments, Schools of Studies or Colleges maintained by or affiliated to the University and the second part containing names of persons other than teachers of the University qualified for appointment as examiners, whose names shall be obtained by the Registrar's office from other Universities on its own initiative or under the direction of the Chairman of the Board of Studies concerned.
3. The list shall contain as far as possible information relating to the persons included therein on the following points namely :
 - (a) the academic qualifications and teaching experience at degree and post-graduate levels;
 - (b) the field of specialization;
 - (c) the examinations of the University & years in which they have acted as examiners in the past.
4. The list so prepared shall be made available to the Examination Committee concerned constituted under Section 44 of the Adhiniyam together with the names of persons appointed as Examiners in the University during the two preceding years. The Committee may add to the list, the names and experience of persons qualified for appointment as examiners but not included therein.
5. The Registrar's office shall also give the Examination Committee the approximate number of candidates expected to appear at each examination and

Provided that in case of degree examinations where sufficient number of internal co-examiners in a subject with the aforesaid qualifications is not available, teacher in the University Teaching Department /School of Studies and Colleges in the University with at least three years' teaching experience at the degree/post-graduate level in the subject shall be eligible for appointment as co-examiners.

9. (1) In case of practical and viva-voce examinations at the post-graduate level, the external examiner shall be a person not below the rank of a Reader.
- (2) In case of practical and Vive-voce examination at the first degree level, the external examiner shall be a teacher of the subject with not less than three year's experience of teaching the subject at the degree and/or post-graduate level.
- (3) The internal examiner in case of viva-voce examination at the post-graduate level shall be the Head of Department in the subject in the Institution whose regular candidates are to be examined at the Centre and where the Head of the Department is not available, a teacher of the Institution, recommended by the Head of the Institution shall be the internal examiner.
- (4) The internal examiner in case of practical examination both at the degree and the post-graduate level shall be appointed from amongst the teachers of the institution whose regular candidates are to be examined at the Centre, on the recommendation of the Head of such Institution.
- (5) The external examiner at the post-graduate level in case of a practical/viva-voce examination shall not ordinarily be a teacher in a University Teaching Department/School of Studies or College maintained by or affiliated to the University.
- (6) Except in the faculties of Medicine, Ayurveda, Engineering, Technology, Education and Physical Education, all external examiners in case practical examination at the first degree level shall as far as possible be appointed from amongst the teachers in any University Teaching Department/ School of Studies or College maintained by or affiliated to the University.
- ✓ 10. (1) Ordinary not more than 50% of the paper setters at the post-graduate examination and not more than 25% of the paper setters at the first degree examination in any subject shall be external. All external paper setters for the first degree examination and at least 50% of the external paper setters at the post-graduate level shall ordinarily be from Madhya Pradesh.
- (2) Where in any paper more than one examiner is appointed the paper setter shall be the Head-examiner. Examiners other than the paper-setter shall be the co-examiners.
- (3) All Co-examiners shall be internal, provided that if sufficient number of qualified teachers in a subject is not available for appointment as co-examiners, external co-examiners may be appointed.

**Regulation for the disposal of cases of 'Use or attempt to
'use unfair means' and disorderly conduct at an
examination by a Candidates.**

(Accepted by Co-ordination committee on 5-1-81 and approved by Kulpati under section
52(4) (v))

1. In every case, where a candidate appearing for an examination is found using or attempting to use unfair means at the examination or behaving in a disorderly manner, a report shall be accompanied with the candidate answer-books and such documents and articles as were found in his possessing and as constitute prime facie evidence of the use of unfair means/disorderly behaviour
2. An receipt of the report, the Registrar shall send it together with answer-books, documents and articles, mentioned in paragraph 1, to the Examiner appointed by the Kulpati and obtain his report in the prescribed form.
3. The Examiner's report, together with the an answer-books, documents and articles, shall be placed before the committee constituted under ordinance 5.
4. If a candidate is found by the committee to have acted in any manner intended to gain any advantage relating to his examination he shall be deemed guilty of using unfair means for the purpose of this regulation.
5. The action proposed to be taken by the committee shall be communicated to the candidate along with the statement of case against him. No case shall be decided unless the candidate has been given reasonable opportunity to send his representation in writing against action proposed to be taken by the committee.
6. Every such case shall be decided by the committee constituted under ordinance 5.

**Use or attempt to use unfair means and
DISORDERLY CONDUCT AT AN EXAMINATION.**

(1) Use or attempt to use of unfair means at an Examination shall include the following -

CATEGORY - A

1. Taking assistance from any other candidate or any other person in any unauthorised manner whatsoever in answering the question paper during the course of the examination.
2. Assisting any other candidate in any unauthorised manner whatsoever in answering the question paper during the course of the examinations.
3. Deliberately disclosing ones identity or making any distinctive mark in the answer-book for that purpose.

PUNISHMENT

Cancellation of subject concerned.

CATEGORY - B

1. Carrying into the examination room/hall any book, paper, notes or any other material whatsoever likely to be used directly or indirectly by the candidate in connection with the examination.

PUNISHMENT.

Cancellation of the full University examination at which he is appearing

CATEGORY - C

1. Taking assistance from any book paper, notes or any other material in answering the question paper during the course of the examination.

PUNISHMENT.

Cancellation of examination and debarring from any subsequent university examination/ examinations upto the maximum of two examinations including the supplementary/ second Examination.

CATEGORY - D

1. Getting impersonated by any person in the examination.

PUNISHMENT.

Cancellation of the examination and debarring from any of the university examination for five years.

(2) Disorderly conduct in the Examination shall comprise the following :

CATEGORY - A

Using urinals/lavatories which are allowed by the examination centre, inspite of warning given by the invigilator/Superintendent/ any other office deputed by the university.

PUNISHMENT.

: Cancellation of the paper concerned.

CATEGORY - B

1. Using indencent and/or abusing language against the invigilator/Superintendent any other officer deputed by the University at the centre.
2. Destroying of unfair meansmaterials found with the candidate either by swallowing or throwing out of the room or window or elsewhere or in any other way.

PUNISHMENT.

: Cancellation of examination and debarring from any subsequent university examination/ examinations upto a maximum of three including the Supplementary/ Second examination.

CATEGORY - C

1. Leaving the examination room/shall before the expiry of half an hour or without handing over the answer-books to the invigilators in charge.
2. Intentionally tearing off his own answer-book or a part of a leaf or a continuation sheet or of any other candidate appcaring at the examination.
3. Disrupting the examination in any way
4. Forcing others to leare the examination room/hall.
5. Carrying any weapon of offenea into the examination room/hall.
6. Any other act of the candidate including refusal to hand over the crminating material during the course of the examination reported by the invigilator the university and found to be misbehaviour by the committee.

PUNISHMENT.

: Cancellation of the examination and debarring from any University examinations upto a maximum of three including the Supplementary/Second Examination.

NOTE: The Committee shall recommend punishment after due consideration of the type of disorderly conduct reports of the Invigilator, the centre Superintendent any other officer deputed by the University and the statement of the candidate,

CATEGORY - D

the of unfair means of any type : Punishment not exceeding debarring the reported by the Examiner in candidate from not more than three subsequent university examinations. the foregoing categories.

- NOTE :**
1. The committee shall recommend punishment after due consideration of the category / type of unfair means, reports of the invigilator, the centre Superintendent the examiner and statement of the candidate.
 2. Where punishment is awarded under more than one clause, the punishments shall run concurrently.

V.C. Nomination

E-Mail - hegmkbaaccjlab@mp.gov.in

EC, AC., F.C.

2401300 (O)
Fax: 0761-4003296

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



जबलपुर, दिनांक :...../...../2020

क्रमांक :.....

प्रति,

माननीय कुलपति
श्रीमती दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

विषय : विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नामांकित/मनोनीत करने वास्तु ।

महोदय,

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि इस महाविद्यालय की स्वशासी प्रक्रिया संचालन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 35 के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय [Refer Section 6(16) and Section 24 (xiii) (परिचय 35 संलग्न) के अनुसार वैधानिक समितियों के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कृपया निम्नलिखित समितियों के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का मनोनयन/नामांकन करने का कष्ट करें।

- कार्यकारिणी सदस्य/शासी निकाय (एक) : नाम
(जो प्राध्यापक स्तर से कम न हो) पद
पता
.....
- अकादमिक परिषद सदस्य (तीन) : नाम
पद
पता
.....
: नाम
पद
पता
.....
: नाम
पद
पता
.....
- वित्त समिति सदस्य (एक) : नाम
(जो उपसचिव स्तर से कम न हो) पद
पता
.....

.....
.....
.....

www.mphighereducation.nic.in/gmkbcjabalpur.

E-Mail - hegmkbbaaccjnb@mp.gov.in



2401300 (O)

Fax : 0761-4003296

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक :

जबलपुर, दिनांक :

प्रति,

.....
.....
.....

विषय - विषय के अध्ययन मण्डल की बैठक
विषयक ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सत्र 2020-2021 के लिए विषय
के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक/...../..... को समय बजे आयोजित
करने का निर्णय लिया गया है।

..... विभाग की अध्ययन मण्डल में आप विषय विशेषज्ञ
सदस्य के रूप में नामांकित हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक/...../..... को निर्धारित
समय में विभाग/गूगल मीट/जूम मीटिंग के माध्यम से उपस्थित होने का कष्ट करें।

विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि -

1. परीक्षा नियंत्रक, स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ

विभागाध्यक्ष

अध्ययन मण्डल की बैठक तिनाँक/...../.....के अनुसार
विभाग में लागू पाठ्यक्रमानुसार प्रश्नपत्र के शीर्षक सत्र-20..... हेतु -
(प्रश्नपत्रों के शीर्षक हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखें।)

बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष

प्रश्नपत्र - प्रथम :

प्रश्नपत्र - द्वितीय :

बी.ए./बी.कॉम. द्वितीय वर्ष

प्रश्नपत्र - प्रथम :

प्रश्नपत्र - द्वितीय :

बी.ए./बी.कॉम. तृतीय वर्ष

प्रश्नपत्र - प्रथम :

प्रश्नपत्र - द्वितीय :

वैकल्पिक विषय जिसका अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।

जिन विभागों के द्वारा आधारपाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र पढ़ाये जाते हैं वो विभाग आधारपाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों के नाम अलग से उल्लेखित करें।

आधारपाठ्यक्रम :

कक्षा :

प्रश्नपत्र :

नोट : पाठ्यक्रम में जहाँ पर भी वर्ष, सी.सी.ई. के अंक, मुख्य परीक्षा के अंकों के विभाजन में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो विभाग द्वारा लिखे गये मिनिट्स में स्पष्ट उल्लेख करें।

विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष अध्ययन मण्डल के हस्ताक्षर

कार्यालय प्राचार्य, शाराकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



कमांक/ 1853 /20

जबलपुर, दिनांक : 1/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिधम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के हिन्दी विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

- 1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. नीना उपाध्याय
- 2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. मनोज प्रियदर्शन
डॉ. स्मृति शुक्ला : डॉ. सपना वीहाज
डॉ. प्रज्ञा अनुशंगी : श्री सुनील कुमार दुबे
डॉ. इन्द्रसिंह बरकड़ : डॉ. बलीराम अहिरवार
- 3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. उष्ण दुबे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
ज्योति नगर, गढ़ा, जबलपुर
मो. 9424743495
2. डॉ. अरुण कुमार मिश्र
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
16, स्टेट बैंक कालोनी, गढ़ा बाजार के पास,
गढ़ा जबलपुर
मो. 9340938193, 9827285838
- 4. कुलपति द्वारा मनोनित सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. मिश्र सिवारी
सेवानिवृत्त प्राचार्य
16, भवरताल गार्डन, पानी की टंकी के पास
नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
मो. 9827047781
2. डॉ. शरद मिश्रा
प्राध्यापक
41, सर्जना मायत्री मन्दिर के पास, शहडोल (म.प्र.)
मो. 9407002120
- 5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : श्रीमती प्रीति जैन
नया गाँव, रामपुर, छपर, जबलपुर
- 6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : कु. प्रियंका पाठक
दरगा नगर, जबलपुर
मो. 8878816799

Signature

Principal
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक : ए.प.शा.सा. 1853/20

जबलपुर, दिनांक : 10/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के अंजोनी विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. अर्चना सिंह
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/
सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक : डॉ. पुष्पा करवाल
डॉ. उषा कैली श्रीमती मधुबाला शर्मा
डॉ. अश्विषेक कोष्टा डॉ. सीमा डिकारे
डॉ. टी.आर. नायडू
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. हेमन्त तनकप्पन
सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाविद्यालय, बरेला
मो. 9425323161
2. डॉ. मीना केलर
प्राध्यापक
शासकीय महाकोशल महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9425384711
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. आर.के. मिश्रा
प्राध्यापक
शासकीय मो.ह.गो.वि. एवं गृहविज्ञान महिला
महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
मो. 9977000913
2. डॉ. पी.के. जैन
प्राध्यापक
शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.)
मो. 9425330544
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : श्रीमती रोहणी गायकवाड़
चैम्पियन लीटिल किंगडम स्कूल, राईट टाउन, जबलपुर
मो. 9425155939
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. भावना श्रीवास्तव
एस.जी.एस.आई.टी.एस. इन्दौर (म.प्र.)
मो. 9893800090

प्राचार्य

Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकंदरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक स्वशासी/1853/20

जबलपुर, दिनांक 01/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्ट्रोल न के आदेश पर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. वी.एन. आर्मा
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) :-
3. महाविद्यालय के छाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. माला प्यासी प्राध्यापक शासकीय महाकोशल उद्योगी महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) मो. 9425838199
 2. डॉ. इला घोष पूर्व प्राचार्य म.नं. 21, आदित्य कालोनी, नार्मदा रोड, जबलपुर मो. 9893798772
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. प्रो. संधिका प्रसाद मिश्र प्राध्यापक, संस्कृत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) मो. 9425188781
 2. प्रो. कमलनयन शुक्ल प्राध्यापक, संस्कृत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) मो. 9425862993
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : श्री दीपक पिल्ले पेंटीनाका के पारा, सदर, जबलपुर मो.
6. श्रुतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. सरिता यादव अतिथि विद्वान, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर मो. 7999807568

Phalguni

प्राचार्य/प्रो.
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : सं.व.स.वि.स. (11) 1255/20

जबलपुर, दिनांक . 11/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 आधार पर महाविद्यालय के उर्दू विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पढेन अध्यक्ष : डॉ. एम.ए. आरिफ
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. मुस्तकिम रजा
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. गुले नगमा
सहायक प्राध्यापक
शासकीय एम.जे.वी. महिला महाविद्यालय,
गोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
मो. 8989125912
 2. डॉ. जफर मेहमूद
सहायक प्राध्यापक
शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
मो. 7000068126
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. Hadees Ansari
विभागाध्यक्ष उर्दू
एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजरथान)
मो. 8005923891
 2. डॉ. नुलाम हुसैन
विभागाध्यक्ष उर्दू
शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
मो. 9893853183
5. औद्योगिक धाराने से संबद्ध सदस्य (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : श्री एम.ए. राशिद
168, साईथ सिविल लाइन, जबलपुर
मो. 7000821701
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. नजमुन्ननिशा
अतिथि विद्वान, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल
मो. 8120726926

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्राचार्य

Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce Collage for Woman



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (ग.प्र.)

क्रमांक: एएच/1853/20

जबलपुर, दिनांक: 11/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के इतिहास विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. वन्दना गुप्ता
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/
सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. आर.एन. श्रीवास्तव
डॉ. अर्चना देवलिया डॉ. शोभना पाण्डेय
डॉ. एस.एन. परते
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. जरीना जॉन चौधरी
प्राध्यापक
शासकीय कन्या महाविद्यालय राँडी, जबलपुर
मो.
2. डॉ. रश्मि झारिया
सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाविद्यालय, कुण्डम, जबलपुर
मो.
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. सुभाष शर्मा
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो. 9425154490
2. डॉ. आशुतोष दुबे
प्राचार्य
केसरवानी महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9826174737
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्री समीर कनाडे
विन्ध्य विन्डर्स, जबलपुर
मो.
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : कु. रेखा पटेल
शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो.

Chahal

Prof. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकेंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)




क्रमांक: एच.आ.सी./1853/20

जबलपुर, दिनांक: 1/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पढेन अध्यक्ष : डॉ. वन्दना गुप्ता
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. आर.एन. श्रीवास्तव
डॉ. अर्चना देवलिया डॉ. शोभना पाण्डेय
डॉ. एस.एन. परते
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. नवीन मीडियन
विभागाध्यक्ष
शासकीय रनातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सानर
मो.
2. डॉ. रामकुमार अहिरवार
विभागाध्यक्ष
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
मो.
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. एस.एन. मिश्रा
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो. 9424705696
2. डॉ. मोहनलाल चडार
सहायक प्राध्यापक
इन्दिरा गाँधी जनजातीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक
मो.
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : डॉ. हरीश कोहली
लोहारी कलाथ स्टोर, गोरखपुर जबलपुर
मो.
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. मुक्ति मिश्रा, अतिथि विद्वाब
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो. 7089442791


प्रिन्सिपल
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरवाड़ी कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक : २२३११५१-१८५३

जबलपुर, दिनांक : 12/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के भूगोल विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. ब्रम्हा नन्द त्रिपाठी
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. किरण कुमार
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. ए.सी. तिवारी *
प्राध्यापक
शासकीय महाकोशल अग्रणी महाविद्यालय, जबलपुर
मो.
 2. डॉ. राजेश श्यामकूँवर
सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाकोशल अग्रणी महाविद्यालय, जबलपुर
मो.
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. एल.एन. महोदिया
प्राचार्य
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
मो.
 2. डॉ. लोकेश श्रीवास्तव
प्राध्यापक, भूगोल
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो.
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्री समीर कनाडे
विन्ध्य बिल्डर्स, जबलपुर
मो. 9329418420
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : कु. पूजा विश्वकर्मा
मो. 7770950735

Whab ab

Principal
Principal
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक : 311/ख/21

जबलपुर, दिनांक : 16.08.21

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिभाषा 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कठिनाई के आधार पर महाविद्यालय के कम्प्यूटर एप्लीकेशन (वाणिज्य संकाय) विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. नन्दिनी भारिल्ल
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/
सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक : डॉ. उज्ज्वला खारपाटे
डॉ. सुषमा मेहरा डॉ. विजया कोष्टा
डॉ. कविता चतुर्वेदी डॉ. सपना चावला
डॉ. नूपरनिखिल देशकर
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. सतेन्द्र कुरारिया
सहायक प्राध्यापक
मातागुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9826327121
2. डॉ. प्रचीण कुमार
सहायक प्राध्यापक
जी.एस. महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9827393494
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. श्री जितेन्द्र दरेकर
सहायक प्राध्यापक
चंचलवाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय
जबलपुर
मो. 9827682893
2. डॉ. गगन दीप तालिया
सहायक प्राध्यापक,
तेगवहादुर कालेज, जबलपुर
मो. 9425154734
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्री अपूर्व सिंघाई
संचालक, झरनगंगा कालेज, जबलपुर
मो. 9826129299
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. आशू जैन
सहायक प्राध्यापक
सेंट अल्ताइसियास महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9479641344

Signature

Principal
Autonomous MKB Arts &
College for Women
(M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : 1853 / 20

जबलपुर, दिनांक : 1.12.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के गृहविज्ञान विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. कल्पना गुप्ता
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. अंजना धुर्वे
श्रीमती श्वेता धुर्वे
श्रीमती प्रतिभा मण्डलोई
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. वंदना पाण्डे
सहायक प्राध्यापक
चंचला वाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 8839642006
2. डॉ. नीतम अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक
महिला पॉलीटेक्निक कालेज, जबलपुर
मो. 9425384246
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. आशा तिवारी
प्राध्यापक
शासकीय मो.ह.गो.वि. एवं गृहविज्ञान महिला
महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9425612360
2. डॉ. नीलिमा दुबे
सहायक प्राध्यापक,
हवाबाम महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9926476025
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्रीमती शर्मिला जैन
मो. 7000070415
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : कु. नुसरत वानो
मो. 930065409

Prathma

Principal
प्राचार्य
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : 314/स्क/21

जबलपुर, दिनांक : 16.08.21

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिणियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयो हेतु 12 वीं पंचतमीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कडिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के मनोविज्ञान विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पढेन अध्यक्ष : डॉ. सुधा मेहता
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. शिमता जैन
डॉ. अर्चना चतुर्वेदी डॉ. कामना श्रीवास्तव
डॉ. शांता राव डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव
डॉ. विनीता महोदिया डॉ. ममता वर्मन
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. श्री बी. निगम
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
103, प्रगति हाइट्स, महानददा, जबलपुर
मो. 9425161398
2. डॉ. मंजूलता चौधरी
सेवानिवृत्त प्राचार्य
संजीवनी नगर, थाने के पास, जबलपुर
मो. 9977057190
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. श्रीमती आशा दुबे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
परफेक्ट एनवलेव, रनेह नगर, जबलपुर
मो. 0761-2413103
2. डॉ. वीणा दानी
प्राध्यापक,
सरोजनी नायडू महाविद्यालय, भोपाल
मो. 9425037338
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : डॉ. निर्मला परांजपे
सतना बिल्डिंग, जबलपुर
मो. 9300112495
6. भूतपूर्व छात्र (एल्युमिनाई) : श्रीमती निशा अग्रवाल पति डॉ. पवन अग्रवाल
भवरताल के पास, जबलपुर
मो. 9425154462

Shatru

Principal

Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Woman



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक: 1853/20

जबलपुर, दिनांक: 1.12.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. सुनीता मिश्रा
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक)
: डॉ. सुलेखा मिश्रा
डॉ. दीपक श्रीवास्तव डॉ. संध्या पचीरी
डॉ. संध्या चौबे डॉ. वरुणराव बंसोड़कर
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें)
: 1. डॉ. राशिनी अन्नवाल
प्राध्यापक
शासकीय महिला महाविद्यालय, राँडी, जबलपुर
मो. 9425156526
2. डॉ. सुनील कुमार श्रीवास्तव
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, बरेला जबलपुर
मो.
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें)
: 1. डॉ. नीता गुप्ता
प्राध्यापक,
शासकीय महाकोशल अग्रणि महाविद्यालय, जबलपुर
मो.
2. डॉ. रंजना मिश्रा
प्राध्यापक,
अतिरिक्त संचालक, कार्यालय, जबलपुर
मो. 9424915621
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य
: श्री अजय तिवारी
मदन महल, जबलपुर
मो.
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई)
: डॉ. अभिलाषा वोहरे
मो.

Principal
Govt. Arts & Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशारी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : (स्वशारी) 1853/20

जबलपुर, दिनांक : 1/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशारी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कठिनाई के आधार पर महाविद्यालय के दर्शनशास्त्र विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. नोएल दान
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : -
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. भरत तिवारी
आचार्य एवं अध्यक्ष
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो. 9425159578
 2. डॉ. प्रियवत शुक्ल
प्राध्यापक
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो. 9424705702
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 1. डॉ. भरत तिवारी
आचार्य एवं अध्यक्ष
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
मो. 9425159578
 2. डॉ. मलय वर्मा
सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाकौशल अग्रणि महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 8349677907
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : डॉ. डी.सी. जैन, डायरेक्टर
ज्ञानदांगी एकेडमी, जबलपुर
मो.
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : आरती शर्मा
मो. 7089442791

Chahal

Prakash
Prakash
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक : 346/स्व/श

जबलपुर, दिनांक : 14/11/21.....

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. सुषमा श्रीवास्तव
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. मीनू मिश्रा
डॉ. सुनीता सिंह चंदेल
डॉ. संध्या देव
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. राजीव मिश्रा
प्राध्यापक
शासकीय महाकोशल महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 7999639312
2. डॉ. भावना वर्मा
प्राचार्य
हितकारणी महाविद्यालय, गढ़ा जबलपुर
मो. 9827282771
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. ध्रुव कुमार दीक्षित
प्राध्यापक,
केसरवानी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
मो. 9425386224
2. डॉ. प्रीतिबाला मिश्रा
प्राध्यापक,
शासकीय महाकोशल अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर
मो. 9669522380
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्री रवि गुप्ता
सन पेट पेक मनेरी औद्योगिक क्षेत्र,
मो. 9300100012
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. रिचा सेनगुप्ता
मो. 9827567306

Principal
Govt. M.B. Arts & Commerce
(Auto.) College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरवाड़ी कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : 34/एन/21

जबलपुर, दिनांक : 16.8.21

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. रश्मि चौते
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. जे.के. गुजराल
डॉ. राजयकान्त खरे
डॉ. आशा दुबे
डॉ. शीला चौते
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. अशोक भण्डारी
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
693, रतन कालोनी, लेबर चौक के पास, गोरखपुर
जबलपुर (म.प्र.)
मो. 9425821066
2. डॉ. प्रभा पुरवार
प्राध्यापक,
शासकीय महाकोशल अग्रणि महाविद्यालय, जबलपुर
मो.
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. नीलकण्ठ गजानन पेण्डसे
प्राध्यापक,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
मो. 9425861917
2. डॉ. उमेश दुबे
प्राध्यापक,
शासकीय महाविद्यालय राँडी, जबलपुर (म.प्र.)
मो. 9755731321
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्री अरुण फ़ाल आनंद
मो.
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. अनिता गुप्ता
मो.

Principle

Principal

Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकूँवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : स्वशासी 1853/20

जबलपुर, दिनांक : 1/12/2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिियम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के चित्रकला विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. किरण शुक्ला
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/
सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. सुनीति भोज
डॉ. अरुणा
डॉ. रागिनी उपाध्याय
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. अर्चना श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक
मातागुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 7987570482
2. डॉ. एडलिन अब्राहम
सहायक प्राध्यापक
खालसा महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9407822154
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. प्रसन्न पाटकर
ऐसोसिएट प्रोफेसर
ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
मो. 9793433488
2. डॉ. रंजेश तिवारी
सहायक प्राध्यापक,
माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9752047135
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : डॉ. रितिका खण्डेलवाल
मैनेज्ज खण्डेलवाल फर्नीचर, जबलपुर
मो. 9009594002
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : सुश्री कौसर बानो,
सहायक प्राध्यापक
जी.एस. महाविद्यालय, जबलपुर
मो.

Chalred

Principal
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय गानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक: १९५१२/१७५३/२०

जबलपुर, दिनांक: ११/१२/२०२०

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिनिचय ३५ की धारा ६ एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु १२ वीं पंचवर्षीय योजना (२०१२-२०२०) की मार्गदर्शिका के कण्डिका ४ के आधार पर महाविद्यालय के संगीत विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

१. पदेन अध्यक्ष : डॉ. राजीव जैन
२. सदस्य (समस्त विशागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. पृथा वैजजी
३. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 १. डॉ. मीरा काले
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
एफ-३ आदि इनक्लेव, राइट टाउन, जबलपुर
मो. ८९८९७७७९९९
 २. डॉ. स्मृति सहस्रबुद्धे
प्राध्यापक
शासकीय कमला राजा कन्या महाविद्यालय ग्वालियर
मो. ९४२५४०७६९३
४. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु ०२ नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) :
 १. डॉ. अखिलेश सप्रे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
यादव कालोनी, गढ़ा जबलपुर
मो. ८९८९६६६३३३
 २. डॉ. चन्द्र कुमार चौरसिया
प्राचार्य
राजेश्री पुरुषोत्तमदास टाँडन राजकीय मल. तलबहट
जिला ललितपुर, (उत्तरप्रदेश)
मो. ९४१५६२१७६४
५. औद्योगिक धाराने से संबद्ध सदस्य : श्री हर्ष पटेरिया
प्राइमो बैंक लिमिटेड, राइट टाउन, जबलपुर
मो.
६. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. उज्जवला दीक्षित
डी.एन.जैन. वी.एड. कालेज, जबलपुर
मो. ९९८१२५०२५०

Chakrad

Chakrad
प्राचार्य
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुंवरवाड़ी कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक : 314/स्व0/21

जबलपुर, दिनांक : 16.08.21

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिधम 35 की धारा 6 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी महाविद्यालयों हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2020) की मार्गदर्शिका के कण्डिका 8 के आधार पर महाविद्यालय के वाणिज्य विषय के 'अध्ययन मण्डल' का अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए पुनर्गठन अधिसूचित किया जाता है।

1. पदेन अध्यक्ष : डॉ. नन्दिनी शारिल्ल
2. सदस्य (समस्त विभागीय प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) : डॉ. उज्जवला खारपाटे
डॉ. सुषमा मेहरा डॉ. विजया कोप्टा
डॉ. कविता चतुर्वेदी डॉ. शपना चावला
डॉ. नूपूर्नेखिल देशकर
3. महाविद्यालय के बाहर के दो विषय विशेषज्ञ (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. महेन्द्र जैन
सहायक प्राध्यापक
मातागुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9827206613
2. डॉ. तरुण बाचपेई
सहायक प्राध्यापक
डी.एन. जैन महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9424955794
4. कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य हेतु 02 नाम (पता एवं फोन नंबर अवश्य लिखें) : 1. डॉ. सुनील देशपाण्डे
सहायक प्राध्यापक
जी.एस. कालेज, जबलपुर
मो. 9827156470
2. डॉ. स्मृति कुरारिया
सहायक प्राध्यापक,
माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9424913248
5. औद्योगिक घराने से संबद्ध सदस्य : श्री. अपूर्व सिंघई
संचालक, ज्ञानगंगा कालेज, जबलपुर
मो. 9826129299
6. भूतपूर्व छात्रा (एल्युमिनाई) : डॉ. आशू जैन
सहायक प्राध्यापक
सेंट अलाइसियस महाविद्यालय, जबलपुर
मो. 9479641344

Shatruv.

Principal
Govt. Autonomous MKB Arts &
Commerce College for Women
Jabalpur (M.P.)

V.C. NOMINEES.
(EXECUTIVE, A/C, F/C)
श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



जबलपुर, दिनांक 11/01/2021

क्रमांक/अक10/2021/5538


अधिसूचना

शासकीय मानकुर्वर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर में परिनिगम 35 के तहत स्वशासी महाविद्यालय में माननीय कुलपति जी द्वारा अधोलिखित वैधानिक समितियों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया है, यथा :-

1. कार्यकारिणी/शासी निकाय सदस्य
2. शैक्षणिक परिषद् सदस्य (Academic Council)
(जो प्राध्यापक स्तर से कम न हों)
3. वित्त समिति सदस्य (Finance Committee)

— प्रो. भरत कुमार तिवारी,
आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग


1. प्रो. दिव्या नागची, आचार्य,
वाणीशास्त्र विभाग
 2. प्रो. विवेक मिश्र, आचार्य,
राजनीतिशास्त्र विभाग
 3. प्रो. शैलेष चौबे, आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग
1. वित्त अधिकारी
सा.दु.वि.वि., जबलपुर


प्रभारी कुलसचिव
श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11/01/2021

पू0 क्रमांक/विकास/2021/5538 "अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उपरोक्त सदस्यों को।
2. प्राचार्य, शासकीय मानकुर्वर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर।
3. कुलपति जी के सचिव, सा0दु0वि0वि0, जबलपुर।


सहायक कुलसचिव(अक10)
श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

F C

2021

E-Mail - hegmkb@nccjabamp.gov.in

2401300 (0)
Fax: (076) 4003296

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय गानकुंवरवाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



जबलपुर, दिनांक : 12/01/2021

क्रमांक : 188/2021

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 35 सहपठित धारा 6 (16) एवं 24 (Xiii) के उपबंध 12 अनुसार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वारहवीं योजना की मार्गदर्शिका (2012-2017) के अनुसार महाविद्यालय की स्वशासी वित्त समिति निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है -

क्र.	नाम	पद	परिणत में प्रदत्त पद
1.	डॉ. लीला भलावी	प्राचार्य	पदेन अध्यक्ष
2.	रिवत	स्वशासी कार्यकारिणी द्वारा नामांकित	सदस्य
3.	डॉ. सुधा मेहता	पाठ्यापक मनोविज्ञान प्राचार्य द्वारा नामांकित (चक्रीय आधार पर)	सदस्य
4.	वित्त अधिकारी	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	सदस्य

प्राचार्य

पृष्ठांकन क्रमांक : 188/2021

१९

जबलपुर, दिनांक 12/01/2021

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनाार्थ
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनाार्थ

प्राचार्य

Academi

2021

www.mphighereducation.co.in/gmkbejalsamp.in
E-Mail - hcgmkdnaccjalsamp.gov.in

2101 300 (P)
Fax: 0761 1003296

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकेंद्र बोर्ड कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जयलपुर (म.प.)



क्रमांक: 11/16

जयलपुर, दिनांक 22/01/2021

अधिसूचना

भारतपदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिगम 35 सहपाठित धारा 6 (16) एफ 24 (आ) उपधारा 11(6)(b) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वारहवीं योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार महाविद्यालय की अकादमिक परिषद/विद्या परिषद निम्नानुसार अधिसूचित नहीं जाती है। अकादमिक परिषद/विद्या परिषद का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से आठवीं नो (02) वर्षों के लिए होगा।

क्र.	नाम	परिषद् में पद	
1.	2.	3.	4.
i.	प्राचार्य	मुख्य परीक्षा नियंत्रक	पदेन अध्यक्ष
ii.	समस्त विभागाध्यक्ष	हिन्दी	पदेन सदस्य
		अंग्रेजी	पदेन सदस्य
		संस्कृत	पदेन सदस्य
		उर्दू	पदेन सदस्य
		सामाजशास्त्र	पदेन सदस्य
		अर्थशास्त्र	पदेन सदस्य
		दर्शनशास्त्र	पदेन सदस्य
		राजनीतिशास्त्र	पदेन सदस्य
		इतिहास	पदेन सदस्य
		भूगोल	पदेन सदस्य
		मनोविज्ञान	पदेन सदस्य
		गृहविज्ञान	पदेन सदस्य
		चित्रकला	पदेन सदस्य
		संगीत	पदेन सदस्य
		वाणिज्य	पदेन सदस्य
iii. a	डॉ. मनोज प्रियदर्शन	प्राचार्य द्वारा नामित (चतुर्थीय पद्धति के आधार पर)	सदस्य
b	डॉ. रिमता जीन	प्राचार्य द्वारा नामित (चतुर्थीय पद्धति के आधार पर)	सदस्य
c	डॉ. आर.एन. श्रीवास्तव	प्राचार्य द्वारा नामित (चतुर्थीय पद्धति के आधार पर)	सदस्य
d	डॉ. जे.के. बुजराल	प्राचार्य द्वारा नामित (चतुर्थीय पद्धति के आधार पर)	सदस्य

क्र.	नाम	परिचय के पत्र
1.	2.	4.
iv	i. पो. विद्या नगरी	विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित
	ii. पो. विवेक विषय	विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित
	iii. पो. ईतिहास जीवे	विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित
v	अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, जबलपुर परीक्षा नियंत्रक	शासन के प्रतिनिधि पाचार्य द्वारा नामित

Shakti

स्वशासी समिति प्रभारी

Shakti

Principal

Govt. M.B. Arts & Commerce
(Auto.) College for Women
जबलपुर, दिनांक (M.P. 22) 1/2024

पृष्ठंकन क्रमांक: 1947.....

प्रतिलिपि -

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर (म.प्र.)
2. विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्यों को सूचनार्थ
3. पाचार्य द्वारा नामित सदस्यों को सूचनार्थ
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
6. सहायक कुलसचिव (सभा), रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
7. डी.सी.डी.सी., रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
8. महाविद्यालय वेबसाइट
9. संपादक दैनिक समाचार पत्र, जबलपुर (म.प्र.)
10. स्वशासी समिति प्रभारी, स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. लेखाशाखा, स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ

Shakti

स्वशासी समिति प्रभारी

Shakti

Principal

Govt. M.B. Arts & Commerce
(Auto.) College for Women
Jabalpur (M.P.)

Practical Internal / External

**Govt. Mankunwarbai Arts & Commerce Autonomous
College for Women, Jabalpur (M.P.)**

List of persons appointed as External / Internal Examiners at the Practical
Examinations in various subject and Examination (Main/Supplementary/
Semester) of 20

CENTRE : Department of

Examination	Subject	Name and Address of Examiners

Controller of Exam.
Govt. Mankunwarbai Arts & Commerce
Autonomous College for Women,
Jabalpur (M.P.)

Principal
Govt. Mankunwarbai Arts & Commerce
Autonomous College for Women,
Jabalpur (M.P.)

Practical / Project

Website : www.mkbjabalpur.in
E-mail- hegmkbaccjab@mp.gov.in

Office : 0761-2401300
Fax No. : 4003296

OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVT. MANKUNWARBAI ARTS & COMMERCE AUTONOMOUS
COLLEGE FOR WOMEN, JABALPUR



Jabalpur, Dated :/...../20.....

CERTIFICATE

Certified that Prof./Dr./Smt./Ku.
External Examiner has Conducted the Practical Examination in the Subject
..... of the Class on Dated
..... at this Centre.

He / She has Examined Candidates.

Prof. /Dr. /Smt./Ku. has worked as
Internal Examiner.

Head of the Department

Principal

Website : www.mkbjabalpur.in
E-mail- hegmkbaccjab@mp.gov.in

Office : 0761-2401300
Fax No. : 4003296

OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVT. MANKUNWARBAI ARTS & COMMERCE AUTONOMOUS
COLLEGE FOR WOMEN, JABALPUR



Jabalpur, Dated :/...../20.....

CERTIFICATE

Certified that Prof./Dr./Smt./Ku.
External Examiner has Conducted the Practical Examination in the Subject
..... of the Class on Dated
..... at this Centre.

He / She has Examined Candidates.

Prof. /Dr. /Smt./Ku. has worked as
Internal Examiner.

Head of the Department

Principal

Website : www.mkbjabalpur.in
E-Mail - hgmkbaccfab@mp.gov.in

2401300 (0)
Fax : 0761-4003296

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य
स्वशांसी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
नैक द्वारा प्रदात 'A' ग्रेड



क्रमांक :/स्वशांसी/परीक्षा/20....

जबलपुर, दिनांक :/...../20.....

प्रति,

.....
.....
.....

विषय : प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/सेमेस्टर परीक्षा हेतु बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त
विषयक ।

महोदय/महोदया,

इस महाविद्यालय की स्वशांसीपरीक्षा 20.... हेतु
आपको विषय की प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए बाह्य/आन्तरिक
परीक्षक नियुक्त किया गया है, विवरण निम्नानुसार है ।

- आन्तरिक परीक्षक :
- कक्षा :
- छात्र संख्या :
- परीक्षा दिनांक :
- समय :

परीक्षा के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित तिथि का ही अनुमोदन
करने का कष्ट करेंगे ।

विभागाध्यक्ष

प्राचार्य

IV Sem PG Project

शासकीय मानकुरबरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
एम.ए./एम.कॉम. स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर
परियोजना कार्य के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रारूप-पत्र

इस सेमेस्टर में स्नातकोत्तर के विद्यार्थी प्रथम से तृतीय सेमेस्टर तक किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपना आकलन कर कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसे आधार बनाकर निम्न प्रारूप में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे-

खण्ड (अ)

1. सेमेस्टर पद्धति अध्ययन के दौरान प्राप्त शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों एवं चुनौतियों का विवरण
2. समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के नाम जिन्हें मैं नियमित पढ़ती हूँ।
3. महाविद्यालय द्वारा संचालित योजनाओं में मेरी भागीदारी, यथा -
 - (i) खेल
 - (ii) एन.एस.एस.
 - (iii) सांस्कृतिक कार्यक्रम
 - (iv) व्यक्तित्व विकास संबंधित योजना
 - (v) अन्य योजनाएँ
4. महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान मेरे द्वारा प्राप्त पुरस्कारों का विवरण
5. महाविद्यालय द्वारा अध्ययन के दौरान मुझे प्राप्त सुविधाएँ एवं शिक्षक/गाइड का सहयोग
6. मेरा परीक्षा परिणाम : प्रथम सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर तक

क्र.	कक्षा का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	परीक्षा परिणाम
1			
2			
3			

खण्ड (ब)

1. पिछले सेमेस्टर में किए गए कार्यों का विवरण -
2. पिछले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर्स के दौरान अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए किए गए मेरे प्रयास -
3. मेरे द्वारा प्राप्त अतिरिक्त योग्यता जैसे कम्प्यूटर कोर्स या कोई प्रशिक्षण

क्र.	सेमेस्टर	संस्था का नाम	संस्था से प्राप्त लाभ
1.	प्रथम		
2.	द्वितीय		
3.	तृतीय		

4. पिछले सेमेस्टर्स के दौरान सर्वेक्षित संस्थाओं के नाम तथा उनसे प्राप्त लाभों का विवरण
5. सबसे अधिक अच्छी और उपयोगी सर्वेक्षित संस्था का नाम

खाण्ड (स)

वर्तमान सेमेस्टर में विजिट्स का विवरण

क्र.	दिनांक	संस्था का नाम	संपर्क किए गए व्यक्तियों का		कार्य/प्राप्त की गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण
			नाम	दूरभाष	

खाण्ड (द)

1. रोजगार प्राप्त करने की क्षमता की योग्यता के संबंध में मेरा आत्म-मूल्यांकन
2. लिखित और मौखिक क्षमता में सुधार के प्रमाण
3. भावी योजना
(अ) रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करना है
(ब) उच्च शिक्षा प्राप्त करना है -
4. परियोजना कार्य योजना की उपयोगिता के संबंध में विचार

दिनांक :/...../20.....

छात्रा के हस्ताक्षर

नाम :

परियोजना कार्य के मार्गदर्शक शिक्षक विद्यार्थियों को उपर्युक्त प्रारूपों में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार कराने में सहायक हों।

GOVT. M.K.B. ARTS & COMMERCE COLLEGE FOR WOMEN, JABALPUR
MAIN PRACTICAL EXAM 2019

CCE

SUBJECT :
PAPER :
DATE OF EXAMINATION :

PAGE NO. : 1

SN.	ROLL NO.	NAME	SIGNATURE OF STUDENTS

SIGNATURE

MAIN PRACTICAL EXAM 2020

PAGE NO.: 1

SUBJECT :
PAPER :
DATE OF EXAMINATION :

CCE

MAX. MARKS :

SN.	ROLL	NAME	MARKS
NO.	NO.	IN FIGURE	SIGNATURE

(SIGNATURE OF INTERNAL)

(SIGNATURE OF EXTERNAL)

Panel

Website : www.mankunwarbaiwomenscollegejbp.org/
E-Mail - liegmkbnaeccjats@mp.gov.in

2401300 (0)
Fax 0761-4003296



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य
स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)

क्रमांक : स्वशासी परीक्षा/2018/.....

दिनांक : .../.../20...

पति,

.....
.....
.....

विषय - स्वशासी सेमेस्टर परीक्षा 20... - 20.... के गोपनीय कार्य विषयक ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस महाविद्यालय की स्वशासी सेमेस्टर/मुख्य परीक्षा 20..... हेतु आपको
विषय के गोपनीय कार्य पैनल बनाने/मॉडरेशन कार्य हेतु दिनांक
से कार्य समाप्ति तक इस महाविद्यालय में सादर आमंत्रित किया जाता है।

परीक्षा नियंत्रक

विभागाध्यक्ष

प्राचार्य

शासकीय मानकेंदरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार गठित परीक्षा समिति की निम्नानुसार आयोजित बैठक में परिणियम क्रमंक 29 के अनुसार माह जनवरी/फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु प्राश्निकों की सूची मुख्य परीक्षा नियंत्रक/प्राचार्य के अनुमोदनाधी संस्तुत की जाती है।

विषय : पश्नपत्र कक्षा :

बैठक दिनांक : शीर्षक

1. नाम :	पदनाम :	शैक्षणिक योग्यता :
अनुभव :	मोबाई नंबर	ई-मेल
पता :		
.....		
प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर <input type="text"/>		
2. नाम :	पदनाम :	शैक्षणिक योग्यता :
अनुभव :	मोबाई नंबर	ई-मेल
पता :		
.....		
प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर <input type="text"/>		
3. नाम :	पदनाम :	शैक्षणिक योग्यता :
अनुभव :	मोबाई नंबर	ई-मेल
पता :		
.....		
प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर <input type="text"/>		
4. नाम :	पदनाम :	शैक्षणिक योग्यता :
अनुभव :	मोबाई नंबर	ई-मेल
पता :		
.....		
प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर <input type="text"/>		
5. नाम :	पदनाम :	शैक्षणिक योग्यता :
अनुभव :	मोबाई नंबर	ई-मेल
पता :		
.....		
प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर <input type="text"/>		
6. नाम :	पदनाम :	शैक्षणिक योग्यता :
अनुभव :	मोबाई नंबर	ई-मेल
पता :		
.....		
प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर <input type="text"/>		

परीक्षा समिति सदस्यों के हस्ताक्षर 1..... 2..... 3.....

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)



मुख्य परीक्षा 2021

गोपनीय

दिनांक :

कूट क्रमांक :

पति,

.....
.....
.....

विषय : परीक्षक की नियुक्ति ।

महोदय/महोदया,

- आपको अप्रैल-मई 2021 में महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली निम्नलिखित परीक्षा के लिए प्राश्निक/परीक्षक नियुक्त किया गया है -
परीक्षा का नाम : बी.ए./बी.कॉम. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष 2021
परीक्षा का विषय :प्रश्न-पत्र क्रमांक
शीर्षक :
- आप उपर्युक्त परीक्षकत्व स्वीकार करने में किसी कारणवश असमर्थ हैं तो इसकी सूचना तुरन्त देवें तथा इसके साथ भेजे गए समस्त प्रपत्र वापस करने की कृपा करें।
- आपसे विशेष अनुरोध है कि प्रश्नपत्र पूर्णतः संलग्न पाठ्यक्रमों के आधार पर ही तैयार किया जाए। प्रश्न पत्रों का स्तर समुचित रहे एवं भाषा शुद्ध हो। प्रश्न-पत्र बनाते समय इस पत्र के साथ भेजे गए निर्देशों एवं विशेष सूचनाओं का पूर्णतः पालन किया जाए।
- प्रश्न-पत्र भेजे गए 'क' अंकित लिफाफे में रखा जाए। 'क' लिफाफे को 'ख' अंकित लिफाफे में रखा जावे व उसे सुचारु रूप से मुहरबंद कर पंजीकृत डाक द्वारा या स्वतः या किसी विश्वासपात्र वाहक द्वारा पत्र में अंकित तिथि के 15 दिन के अन्दर परीक्षा नियंत्रक, स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ, शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर के नाम भेजे। निर्धारित समय-सीमा में अप्राप्त प्रश्नपत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
- आप इस नियुक्ति को पूर्णतः गोपनीय रखें एवं इससे संबंधित समस्त पत्र व्यवहार परीक्षा नियंत्रक से करें। अपने पत्र व्यवहार में आप अपनी नियुक्ति का पूर्ण विवरण न देकर कूट क्रमांक ही सूचित करें ताकि गोपनीयता भंग होने की संभावना न रहे।
- आप पीछे दर्शाई गई विशेष सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 942/660/अका.प्र./आउशि/10 भोपाल दिनांक 30/09/2010 के अनुसार परीक्षा संबंधी समस्त कार्य करना अनिवार्य है। अतः आप परीक्षकत्व दायित्व को यथाशीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें।
- आवश्यकता पड़ने पर मोबाईल नंबर 9424609658 पर संपर्क किया जा सकता है।

SKK
Controller Exams
Govt. M.B. Arts & Commerce
(Auto.) College for Women
Jabalpur (M.P.)

Principal
प्राश्निक/मुख्य परीक्षा नियंत्रक
(Auto.) College for Women
Jabalpur (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

परिमितता समिति के लिए मॉडरेशन हेतु दिशा-निर्देश

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के अलावा परिमितता समिति निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखेगी -

1. परिमितता समिति हेतु घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र अवश्य भरे।
2. प्रश्नपत्र की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ पर घोषणा पत्र/प्रमाण-पत्र पर परिमितता समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
3. परिमितता के दौरान प्रश्नपत्र निरस्त करते हैं तो कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें।
4. अंकों का विभाजन निर्धारित परीक्षा अनुसार हो।
5. मॉडरेशन करते समय यह भी जाँच करें कि सभी प्रश्न क्रं. 01 से 11 तक अंकित हैं।
6. खण्ड 'B' एवं खण्ड 'C' में आन्तरिक विकल्प के साथ प्रश्न हों।

प्राचार्य

Marks
 allotted
 to
 each
 question

परिमितता समाप्त हेतु
घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र

(नोट : कृपया प्राश्निक इस प्रपत्र को न भरें।)

उक्त प्रश्न-पत्र की परिमितता के दौरान हमने इसकी भाषा-शैली जाँच कर ली है कि प्रश्न-पत्र के सभी प्रश्न इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं तथा अंकों का विभाजन/योगांक/अनुवाद सही है। प्रश्न-पत्र की भाषा शुद्ध एवं सुविहीन है।

अथवा

परिमितता के दौरान उक्त प्रश्न पत्र जिन कारणों से निरस्त किया जाता है, परिमितता समिति उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख करे :-

.....

.....

.....

.....

परीक्षा का नाम : वर्ष एवं माह :
विषय : प्रश्नपत्र :
परीक्षक का कूट क्रमांक :

परिमितता समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

दिनांक : (1)
..... (2)

प्रपत्र - एक

(प्राश्निकों के उपयोग हेतु)

NOTE : The paper setters as well as moderators are requested to see that question set & changes made are written in a clear & legible hand writing so that no printing errors occur in printed copies of Question Papers.

Examination :

Subject : Paper..... Paper Name :

Time : Three Hours Maximum Marks :

(Please give notes about the number of questions to be solved & marks allotted to each question or whether all questions carry equal marks. Please Write in Legible Hand Writing.)

Note : (1)

(2)

S.No.
of
Question

Marks
allotted
to
each
Question

Note : Examiners must duly fill the form of declaration & enclose it at the end of the Question Paper.

Not To be Signed
TO BE WRITTEN ON BOTH THE SIDES

CODE NO : (इसे अवश्य भरे)

गोपनीय

स्वीकृति-पत्र

शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दिनांक :

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी
महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

महोदय,

आपके गोपनीय कृत क्रमांक : दिनांक :

के सदस्य में मुझे सूचित करना है कि -

मुझे सौंपा गया परीक्षाकृत स्वीकार है।

अथवा

मुझे सौंपा गया परीक्षाकृत स्वीकार नहीं है।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरा कोई भी निकट सम्बन्धी/परिचित छात्रा जिसकी
मैंने दृष्टान्त की है या करता/करती हूँ इस परीक्षा के सम्बन्धित विषय में प्रविष्ट नहीं हो रहा है,
जिसके लिए मुझे परीक्षाकृत लिखित किया गया है।

भवदीय

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम

पद

महाविद्यालय का नाम एवं का पता

टिप्पणी : 1. जो वाक्य प्रयोज्य न हो उसे कृपया काट दें। यदि परीक्षाकृत स्वीकार न हो तो कृपया
समस्त कारगजात अलग से एक पत्र के साथ तुरन्त लौटा दें।
2. भविष्य में समस्त पत्र व्यावहार प्राचार्य से किया जाए।

नोट : 'परीक्षाकृत स्वीकार नहीं' की स्थिति में ही इस प्रपत्र को शरी अन्यथा परीक्षाकृत इसे
अपने पास ही रखें।

पपत्र - तेइस

गोपनीय

घोषणा-पत्र

शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

(घोषणा-पत्र प्रश्न-पत्र के साथ, सफेद छोटे लिफाफे में रखाकर, संलग्न करें)

(परीक्षक के लिए)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने जो प्रश्न-पत्र बनाया है उससे संबंधित
सभी टीप इत्यादि नष्ट कर दी हैं ताकि प्रश्न-पत्र की गोपनीयता भंग न हो। प्रश्न-पत्र
के सभी प्रश्न महाविद्यालय द्वारा परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत है।
मैंने भली भांति जांच कर ली है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं
है। प्रश्नों के क्रमांक एवं प्रश्नों में अंकों का विभाजन/योगांक सही है। प्रश्न-पत्र की
भाषा शुद्ध एवं त्रुटिहीन है।

परीक्षा का नाम : वर्ष एवं माह

विषय : प्रश्न-पत्र

परीक्षक का कूट क्रमांक

नोट : इस प्रपत्र को अवश्य भरकर भेजे।

राजकीय मानकुशर नरई कला ँव वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबनपुर (म.प्र.)

वार्षिक परीक्षा -2021 के अंतर्गत

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हेतु

परीक्षा का नाम :

विषय :

प्रश्नपत्र का नाम :

प्रश्न 1.

प्रश्न 2.

प्रश्न 3.

प्रश्न 4.

प्रश्न 5.

परीक्षक कूट क्रमांक :

Year: Subject:

Course/End No.:

Class: Year: Subject:

Paper No.:

Title of the Paper:

Code No.:

Paper No.:

Marks awarded out of:

Marks awarded out of:

S. No.	Code No.	Roll No.	Marks Awarded	
			In Fig.	In Words
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Name of Examiner:

Signature:

Date: ... / ... / 20...

S. No.	Code No.	Roll No.	Marks Awarded	
			In Fig.	In Words
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Name of Examiner:

Signature:

Date: ... / ... / 20...

राजस्थानीय मानकूर्वरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासनी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

परीक्षा वर्ष : 202

परीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक देयक

(प्रश्नपत्र निर्माण हेतु)

परीक्षक का पूरा नाम :
पता :
बैंक का नाम :
खाता क्रमांक : शाखा :
IFSC क्रमांक : मोबाईल नंबर :

परीक्षा कार्य का पूरा विवरण

परीक्षा का नाम : सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा का वर्ष :
विषय : प्रश्नपत्र क्र. :
प्रश्नपत्र शीर्षक :
कूट क्रमांक :

विवरण	दर		पारिश्रमिक की राशि	
	स्नातक	स्नातकोत्तर	रूपये	पै.
1. प्रश्नपत्र निर्माण का पारिश्रमिक अनुवाद सहित (मुख्य/ए.टी.के.टी./अतिरिक्त परीक्षा)	800.00	800.00		
2. स्थानीय यात्रा भत्ता	100.00			
कुल योग (अंकों में)				
कुल योग (शब्दों में) :				

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा कार्य का भुगतान इसके पूर्व मैंने प्राप्त नहीं किया है संबंधित डॉकेंट (मूल रूप में) आवश्यक कार्यवाही हेतु यहाँ संलग्न है।

विल प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

परीक्षक के हस्ताक्षर

5000/- से अधिक राशि पर
एक रु. का रेवेन्यू टिकिट
यहाँ लगाएँ।

परीक्षा नियंत्रक

विशेष नोट : आपसे अनुरोध है कि बैंक अकाउंट नंबर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड अवश्य लिखें।

B.A./ B.COM. I/II/III YEAR (MAIN & SUPPLEMENTARY) Examination 2021

विषय / Subject
प्रश्न पत्र- I / II

प्रश्नपत्र का शीर्षक

TITLE OF THE QUESTION PAPER

Time : Three hours

Maximum Marks : 40

नोट - सभी तीनों खण्डों के प्रश्न निर्देशानुसार हल करें। अंकों का विभाजन खण्डों के साथ दिया गया है।

Attempt questions of all three sections as directed Distribution of marks is given each sections.

खण्ड 'अ' / Section 'A'

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1x5=5

Objective Type Questions

प्रश्न 1. प्रश्न (i) से (V) तक
Question No. (i) to (v)

(बहुविकल्प प्रश्न/रिक्त स्थान/सही गलत/सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न/हाँ/नहीं इत्यादि शामिल किये जायें। (Multiple choice question / fill in the blank/ True-False/Match the column, etc. to be included)

खण्ड 'ब' / Section 'B'

लघु उत्तरीय प्रश्न

2x5=10

Short Answer Type Questions

नोट - सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।
Attempt all five questions. Each question carries 2 marks.

प्रश्न 2.

अथवा / OR

प्रश्न 3.

अथवा / OR

प्रश्न 4.

अथवा / OR

(2)

प्रश्न 5.

अथवा / OR

प्रश्न 6.

अथवा / OR

खण्ड 'स' / Section 'C'

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5x5=25

Long Answer Type Questions

नोट - सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।
Attempt all five questions. Each question carries 5 marks.

प्रश्न 7.

अथवा / OR

प्रश्न 8.

अथवा / OR

प्रश्न 9.

अथवा / OR

प्रश्न 10.

अथवा / OR

प्रश्न 11.

अथवा / OR

AB/000/2021

ER

(4)

[Printed Pages : 04]

9.

अथवा / OR

प्रश्न 10.

अथवा / OR

प्रश्न 11.

अथवा / OR

SAMPLE OF QUESTION PAPER

M.A./M.COM. II & IV Semester (Main/ATKT) Examination 2021

विषय / Subject

प्रश्न पत्र- I / II

प्रश्नपत्र का शीर्षक

TITLE OF THE QUESTION PAPER

Time : Three hours

Maximum Marks : 40

नोट - सभी तीनों खण्डों के प्रश्न निर्देशानुसार हल करें। अंकों का विभाजन खण्डों के साथ दिया गया है।

Attempt questions of all three sections as directed
Distribution of marks is given each sections.

खण्ड 'अ' / Section 'A'

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1x5=5

Objective Type Questions

प्रश्न 1. सही विकल्प चुनिये।

Choose the correct options.

(i)

(a) (b)

(c) (d)

(ii)

(a) (b)

(c) (d)

(iii)

(a) (b)

(c) (d)

AB/000/2021

AB/000/2021

(2)

(iv)

(a)..... (b).....
(c)..... (d).....

(v)

(a)..... (b).....
(c)..... (d).....

खण्ड 'ब' / Section 'B'

लघु उत्तरीय प्रश्न

2x5=10

Short Answer Type Questions

नोट - सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।
Attempt all five questions. Each question carries 2 marks.

प्रश्न 2.

अथवा / OR

प्रश्न 3.

अथवा / OR

प्रश्न 4.

अथवा / OR

AB/000/2021

(3)

प्रश्न 5.

अथवा / OR

प्रश्न 6.

अथवा / OR

खण्ड 'स' / Section 'C'

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5x5=25

Long Answer Type Questions

नोट - सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।
Attempt all five questions. Each question carries 5 marks.

प्रश्न 7.

अथवा / OR

प्रश्न 8.

अथवा / OR

AB/000/2021

- II. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक 708 एवं 710/55/आउशि/शाखा-5 'अ'/2017 भोपाल दिनांक 08/06/2017 के अनुसार सत्र 2017-18 से लागू वार्षिक परीक्षा योजना एवं प्रश्नपत्रों के अंक विभाजन :

अंक विभाजन वार्षिक पद्धति हेतु

बी.ए./बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए

40

(आधार पाठ्यक्रम छोड़कर सभी विषयों के लिए)

- प्रश्न 1. (अ)** खण्ड- 'अ' वस्तुनिष्ठ प्रश्न : इस खण्ड के कुल पाँच (05) प्रश्न होंगे तथा पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। ($5 \times 1 = 05$)
- प्रश्न 2. (ब)** खण्ड- 'ब' लघु उत्तरीय प्रश्न : इस खण्ड के कुल पाँच (05) प्रश्न होंगे तथा पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। ($5 \times 2 = 10$)
- प्रश्न 3. (स)** खण्ड- 'स' दीर्घ उत्तरीय प्रश्न : इस खण्ड के कुल पाँच (05) प्रश्न होंगे तथा पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न पाँच अंक का होगा। ($5 \times 5 = 25$)

आधारपाठ्यक्रम बी.ए./बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु

प्रश्नपत्र - प्रथम

नैतिक शिक्षा और हिन्दी भाषा

खण्ड - 'अ'	प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न	$5 \times 1 = 05$
खण्ड - 'ब'	इकाई एक से चार तक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न (आंतरिक विकल्प के साथ)	$3 \times 3 = 09$
खण्ड - 'स'	इकाई दो से पाँच तक चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (आंतरिक विकल्प के साथ)	$4 \times 4 = 16$ योग = 30

प्रश्नपत्र - द्वितीय

अंग्रेजी भाषा

खण्ड - 'अ'	प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न	$5 \times 1 = 05$
खण्ड - 'ब'	इकाई एक से चार तक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न (आंतरिक विकल्प के साथ)	$3 \times 3 = 09$
खण्ड - 'स'	इकाई दो से पाँच तक चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (आंतरिक विकल्प के साथ)	$4 \times 4 = 16$ योग = 30

प्रश्नपत्र - तृतीय

खण्ड - 'अ'	1 से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न	$5 \times \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$
खण्ड - 'ब'	इकाई एक से पाँच तक पाँच लघु उत्तरीय प्रश्न (आंतरिक विकल्प के साथ)	$5 \times 1\frac{1}{2} = 7\frac{1}{2}$
खण्ड - 'स'	इकाई एक से पाँच तक पाँच दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (आंतरिक विकल्प के साथ)	$5 \times 3 = 15$ योग = 25



Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.
NAAC Accredited "B" Grade University

कक्षांक/जीपनीय/2020/1961

जबलपुर दिनांक 26/11/2020

प्रति,

पाचार्य
शासकीय मानककुँवर बाई क्ला एवं ताण्ड्या,
स्वशासी महिला महाविद्यालय,
जबलपुर

विषय:-महाविद्यालय की परीक्षा परिणाम समिति में विश्वविद्यालय सदस्य के मनोनयन बाबूद।
संदर्भ:-आपका पत्र कक्षांक/1811/20 जबलपुर दिनांक 23/11/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में शासकीय स्वशासी मानककुँवर बाई महाविद्यालय की परीक्षा परिणाम समिति में विश्वविद्यालयीन सदस्य के रूप में डॉ० राजीव दुबे प्राध्यापक, इतिहास विभाग को मनोनित किया गया था, किन्तु डॉ० राजीव दुबे का दसद निधन होने के कारण उनके स्थान पर माननीय कुलपति जी द्वारा प्रो० दिव्या बागची, प्राध्यापक, बायो साइंस, रानी दुर्गावती वि०वि० को शासकीय स्वशासी मानककुँवर बाई महाविद्यालय की परीक्षा परिणाम समिति में विश्वविद्यालयीन प्रतिनिधि (सदस्य) शेष अवधि के लिए मनोनित किया जाता है।


भवदीय

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. प्रो० दिव्या बागची, प्रो० बायो साइंस, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. माननीय कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर


सहायक कुलसचिव (मोमनीय)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

www.mkbjabalpur.in

E-Mail: begmkbamc@jabalpur.gov.in

फ़ोन: 2401300 (0)
फ़ोन: 0761-3001206



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक: 1787/2020

जबलपुर, दिनांक: 15/10/2020

प्रति,

प्रो. राजीव दुबे
प्राध्यापक, इतिहास
राजीव दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. आशुतोष दुबे
प्राचार्य
केसरवानी महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)


डॉ. नन्दिता सरकार
प्राचार्य
शासकीय मोहनलाल हरगोविन्ददास विज्ञान एवं
गृहविज्ञान स्वशासी महिला महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)


डॉ. दीपक श्रीवास्तव
प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र
शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य
स्वशासी महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - परीक्षा परिणाम समिति बैठक विषयक ।

महोदय,

स्वशासी वार्षिक परीक्षा के अन्तर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष एवं पी.जी. द्वितीय सेमेस्टर
के परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु आज दिनांक 15/10/2020 दिन गुरुवार को स्वशासी प्रकोष्ठ
में सांय 05:00 बजे बैठक आयोजित है। अतः बैठक में आप से उपस्थित होने हेतु अनुरोध है।


परीक्षा नियंत्रक


प्रधानाचार्य
Govt. M.B. Arts & Commerce
(Auto.) College for Women
Jabalpur (M.P.)

- (a) one member of the Executive Council, one of the Deans of Faculties, and one teacher, who is a member of the Academic Council nominated by the Executive Council;
- (b) one student who in the academic session immediately preceding was a member of any Board of Study, nominated by the Kulpati;
- (c) Registrar (Secretary).

The Executive Council shall appoint one of the members including under (a) to be the Chairman of the Committee.

- (vii) The Committee shall after examining the cases, decide the action to be taken in each and report to the Executive Council all cases of the use of unfair means together with the decision of the Committee in each case.

*22. Omitted.

*22 With the coming into force of Ordinance No. 71 (Revaluation and Scrutiny of Answer-Books) w.e.f. 16 October 1984, paragraph 22 of Ordinance No. 5 shall stand deleted as per para 15 of Ordinance No. 71 approved by the Kulpati on 1-10-1984 u/s 52 of M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam and by Co-ordination Committee meeting dated

APPENDIX

Remuneration for Examination Work

1. The rates of remuneration to paper setters/examiners shall be as follows, viz. :-

- (I) Faculties of Arts, Social Science, Science, Life Science, Commerce, Education, Physical Education, Law, Home-Science, Engineering and Technology :

(i) Ph.D., D.Sc. and D. Litt. Examinations :	(Rs.)
* (a) Reading a thesis for Ph.D.	800=00
* (b) Practical and Viva-Voce examination for Ph.D.	300=00
(c) Reading a thesis for D.Sc. or D. Litt.	400=00

examinations

- ✓ 11. (1) The Result Committee for each of the faculties will be constituted by the Academic Council.
- (2) The functions of the Results Committee shall be as follows :
- (i) to scrutinize and pass the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Kulpati the action to be taken in any case where the result is unbalanced;
 - (ii) to scrutinize complaints against question papers and to take necessary action;
 - (iii) to decide cases of candidates, who answered wrong paper;
 - (iv) to decide cases of candidates whose answer-books were lost in transit;
 - (v) to exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time.

Note : If any action is to be taken against any Examiner, Centre Superintendent or Invigilator the matter shall be referred to the Executive Council with the recommendation of the Results Committee.

12. The Kulpati shall appoint two tabulators, or two sets of tabulators for tabulating the results of the examination and collators as necessary, and he/she may issue general instructions for the guidance of tabulators in preparing the result of the examination.
13. If a candidate has any communication to make on the subject of his/her examination paper, it shall be made in writing to the Registrar direct.
14. Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his/her examination shall be reported to the Registrar, who shall place the matter before the Executive Council.
15. Except as otherwise decided by the Executive Council, the examination answer-books and the documents regarding the marks obtained by the examinees, except the tabulated results, shall be destroyed or otherwise disposed of after 6 months from the date of the declaration of the results.
16. The Executive Council may, by a resolution, authorize the Registrar to publish the results of the university examinations as passed by the Result Committee on the notice board of the office of the university. The results, when published, shall simultaneously be communicated to the Principals of the colleges concerned.
17. The remuneration of the Examiners, Superintendent, Assistant Superintendent, Invigilators, Tabulators and Collators and the deductions to be made in

remuneration for errors noticed shall be given as in the Appendix.

18. No examinee shall leave the examination hall within half an hour of the start of the examination for any purpose whatsoever and no late comer will be permitted for the examination after half an hour of its commencement.

19. Examinees desirous of leaving the examination hall temporarily shall be permitted to do so for a maximum period of 5 minutes. The absence shall be recorded and if the examinee fails to return within this limit of 5 minutes, he/she shall not be permitted to enter the examination hall unless he/she gives convincing explanation.

20. A candidate found talking during the examination hours shall be warned not to do so. If the candidate continues talking in spite of the warning by the invigilator, the answer-book of such examinee shall be withdrawn and a second answer-book supplied. Only the second answer-book shall be sent for valuation. The first answer-book shall be cancelled and sent to the Registrar, by the Superintendent.

21. The Superintendent of an examination centre shall take action against an examinee, who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the examination centre during the hours of examination, in the following manner :

(i) The examinee shall be called upon to surrender all the objectionable material found in his or her possession including the answer-book and a memorandum shall be prepared with date and time.

(ii) The statement of the examinee and the invigilator shall be recorded.

(iii) The examinee shall be issued a fresh answer-book marked 'Duplicate-Using Unfair Means' to attempt answer within the remaining time prescribed for the examination.

(iv) All the material so collected and the entire evidence along with a statement of the examinee and the answer-book duly initialled shall be forwarded to the Registrar by name in a separate confidential sealed registered packet marked 'Unfair Means' alongwith the observations of the Superintendent.

(v) The material so collected from the examinee together with both the answer-books, viz., the answer-book collected while using unfair means and the other supplied afterwards, will be sent to the Examiner by the Registrar for assessing both the answer-books separately and to report if the examinee has actually used unfair means in view of the material collected.

(vi) The cases of the use of unfair means at the examination as reported by the Centre Superintendent alongwith the report of the Examiner shall be examined by a Committee to be appointed by the Executive Council every year. The Committee shall consist of :

महत्वपूर्ण : 1. आवेदित विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। अतः छात्रा विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन हेतु आवेदन न करे।
2. पृष्ठ क्रमांक 2 पर मुद्रित निर्देशों का पालन करे। छात्र आवेदन पत्र की पूर्ति स्वयं करे।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र

क्रं. :

वर्ष 20.....

महाविद्यालय द्वारा पूर्ति हेतु ।

रु प्राप्ता
रसीद क्रमांक :
दिनांक

पति,

प्राचार्य

शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी
महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

महोदय,

(अ)

1. परीक्षार्थी का नाम :
2. परीक्षा का नाम :
3. अनुक्रमांक :
4. परीक्षाफल घोषित होने की तिथि :
5. शुल्क रुपये चालान/नगद राशि
रसीद क्र दिनांक
..... द्वारा जमा की गयी। (चालान की एक
प्रति संलग्न है।

(ब)

1. प्रश्नपत्र में मुद्रित कोड क्रमांक :
2. विषय :
3. प्रश्नपत्र का नाम :
(प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) (प्रश्नपत्र का नाम एवं
क्रं. स्पष्ट अंकित करें)
4. यदि उक्त प्रश्नपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रश्नपत्र में
पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है तो उस प्रश्नपत्र
का नाम :
5. आवेदित प्रश्नपत्र के प्राप्तांक :
पूर्णांक :

कृपया मेरी उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने का कष्ट करें। मैंने आवेदन-पत्र पर मुद्रित समस्त निर्देशों का अध्ययन कर लिया है तथा वे मुझे मान्य हैं।

पता — (पत्रव्यवहार हेतु, मकान नंबर सहित पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर अंकित करें)

.....

.....

.....

(परीक्षार्थी का नाम तथा हस्ताक्षर)

(नोट : फार्म राशि रु. 25/- शुल्क के साथ अतिरिक्त जोड़े।

वर्ष 20.... पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद

(छात्रा अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय/प्रश्नपत्र आवेदन-पत्र के अनुसार ही लिखें)

परीक्षार्थी का नाम : परीक्षा का नाम (कक्षा)
विषय/प्रश्नपत्र अनुक्रमांक चालान क्रमांक
दिनांक बैंक का नाम

विशेष : पुनर्मूल्यांकन का परिणाम पूरक/द्वितीय परीक्षा के पूर्व घोषित हो यह अनिवार्य नहीं है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

आव यक निर्दे ।

आवेदन-पत्र की पूर्तियों करने के पूर्व समस्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा स्वयं परीक्षार्थी द्वारा आवेदन-पत्र की पूर्ति करें-

1. आवेदन-पत्र में उल्लेखित विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक पूर्ति करें।
2. पुनर्मूल्यांकन का परिणाम पूरक/द्वितीय परीक्षा के पूर्व घोषित किया जाना अनिवार्य नहीं है।
3. कोई भी परीक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्नपत्रों की उत्तरपुरितकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है।
4. प्रत्येक उत्तरपुरितका के लिए पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. पुनर्मूल्यांकन की सुविधा क्रियात्मक, मौखिक, प्रायोगिक, प्रतिवेदन तथा ग्राम सर्वेक्षण के लिए प्रभावशील नहीं है।
6. पुनर्मूल्यांकन के परिणामों की सूची महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
7. पुनर्मूल्यांकन का सामान्य शुल्क प्रति उत्तरपुरितका रुपये 250/- है। इसमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
8. आवेदन-पत्र अंकसूची जारी होने के दिनोंक से 15 दिन के अंदर सामान्य शुल्क सहित तथा इसके पश्चात् 7 दिन तक रु. 100/- सहित प्रस्तुत करना चाहिए। अंकसूची जारी होने का दिनोंक इसमें सम्मिलित नहीं रहेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेंगे।
9. शुल्क केवल चालान के द्वारा ही जमा किया जावेगा।
10. पुनर्मूल्यांकन के आवेदन-पत्र प्रस्तुति से आगामी परीक्षा आवेदन-पत्र का संबंध नहीं है। अतएव अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा न कर उसी परीक्षा का आवेदनपत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
11. पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में लगभग दो माह का समय लगता है। अतएव इस अवधि में किसी प्रकार के पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।
12. आवेदन-पत्र के साथ अंकसूची की फोटो प्रति लगाना आवश्यक है।
13. अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। गलत अनुक्रमांक लिखने/प्रश्नपत्र का उल्लेख स्पष्ट न होने से आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
14. पृष्ठ क्र. 01 पर मुद्रित 'पत्र व्यवहार के लिए पता' वाले स्थान पर आवेदक अपना पूरा पता मोबाईल नंबर सहित सावधानीपूर्वक लिखें।

जनसौजन्य आवाज, राष्ट्रीय मानवत्ववादी कक्षा एवं नाणव्य संस्थाओं की
सहयोगिता से जनकपुर (म.प.)

आस्थापिका के अवलोकन हेतु प्रपत्र

पंजीयन क्रमांक: 101/1949

पंजीयन संख्या: 101/1949

- 1. पंजीयन क्रमांक
- 2. पंजीयन हेतु प्रपत्र संख्या
- 3. विवरणितकालक सम्पत्तक कर्मांक
- 4. पत्र संख्या

5. अवलोकन हेतु प्रपत्र एवं प्रपत्रपत्र का नाम दिनांक / महीना / वर्ष

- (i) विषय प्रपत्रपत्र का नाम
- (ii) विषय प्रपत्रपत्र का नाम

आस्थापिका के अवलोकन हेतु प्रपत्र का नाम नीचे काही लिखें (अर्थात् में)
(अर्थात् में)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

नोट : (i) अंक सूची की छायाप्रति संलग्न करें ।

(ii) अवलोकन हेतु प्रपत्रपत्र की राशि 250/- प्रति प्रपत्रपत्र (अधिकतम दो प्रपत्रपत्र)

शुल्क (अर्थात् में) रुपये (शब्दों में)

रसीद बुक क्रमांक रसीद क्रमांक

प्राप्तकर्ता का नाम

सूचना

1. अवलोकन आवेदन फार्म शुल्क सहित जमा करने पर अवलोकन में जोकेत विधि से एक आस्थापिका के पंजीयन प्रोविन तथा विवरणितकालक प्रपत्रपत्र के सूचना पत्र पर प्रपत्रपत्र का नाम लिखें।
2. प्रपत्रपत्र दर्शनीय होने पर शुल्क अंक सूची एक सप्ताह में प्रदान की जायेगी।
3. पूर्व प्रपत्रपत्र अंक सूची जोड़ने पर ही प्रपत्रपत्र प्रपत्रपत्र सूची प्रदान की जायेगी।
4. अंक सूची में त्रुटि निर्धारण 15 दिवस की अवधि में ही आवेदन फार्म शुल्क सहित एक स्थान में

शासकीय मानक वरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

पुनर्गणना आवेदन पत्र

RETOTALING APPLICATION FORM

परीक्षा का नाम (Name of Exam) :

संकाय (Faculty) :

1. परीक्षाधी का नाम :

2. परीक्षाधी का अनुक्रमांक :

3. विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक :

4. घर का पता :

5. पुनर्गणना हेतु प्रश्नपत्रों के नाम :
Name of papers of Retotling

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

पुनर्गणना हेतु जमा की जाने वाली राशि रु. (अंको में) :

(शब्दों में) :

नोट : (i) अंक सूची की छायाप्रति संलग्न करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

(ii) पुनर्गणना शुल्क रुपये 100/- प्रति उत्तर-पुस्तिका।

(iii) इच्छानुसार समस्त प्रश्नपत्रों की उत्तर-पुस्तिका की पुनर्गणना कराई जा सकती है।

शुल्क (अंको में) : (शब्दों में) :

रसीद बुक क्रमांक : रसीद क्रमांक :

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

सूचना

1. पुनर्गणना के परिणाम आवेदन फार्म शुल्क सहित जमा करने पर अंक सूची में अंकित तिथि से एक माह पश्चात् घोषित होगा जिसकी सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी।
2. परीक्षाफल उत्तीर्ण होने पर मूल अंकसूची एक सप्ताह में प्रदान की जावेगी।
3. पूर्व प्रदत्त मूल अंकसूची लौटाने पर ही पुनर्गणना मूल अंकसूची प्रदान की जावेगी।
4. अंकसूची में अंकित तिथि से 15 दिवस की अवधि में ही आवेदन फार्म शुल्क सहित जमा करने पर पुनर्गणना हेतु विचार करना संभव होगा।

पर्यवेक्षक

परीक्षा में पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से प्रत्येक पाली में आन्तरिक एवं बाह्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान परीक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा कक्ष में छात्रों की चेकिंग मुख्य कार्य रहता है। पर्यवेक्षक परीक्षा के बीच छात्रों को अगर किसी प्रकार की असुविधा हो तो उस को परीक्षा नियंत्रण कक्ष में अवगत कराते हैं जिससे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

विगत वर्षों में नियुक्त पर्यवेक्षक की सूची

वर्ष	पाली	बाह्य पर्यवेक्षक	आन्तरिक पर्यवेक्षक
2013	प्रथम पाली	डॉ. ए.के. सिंह	डॉ. अरुण मिश्र
	द्वितीय पाली	डॉ. ए.के. भण्डारी	डॉ. सुधा मेहता
	प्रथम पाली	डॉ. सी.एन. शुक्ला	डॉ. ललिता पराजपे
	द्वितीय पाली	डॉ. एस.के. वर्मा	डॉ. उषा दुबे
2014	प्रथम पाली	डॉ. निशा तिवारी	डॉ. उषा दुबे
	द्वितीय पाली	डॉ. डी.के. मिश्रा	डॉ. सुधा मेहता
	प्रथम पाली	डॉ. निशा तिवारी	डॉ. अरुण मिश्र
	द्वितीय पाली	डॉ. ए.के. भण्डारी	डॉ. सुधा मेहता
2015	प्रथम पाली	डॉ. निशा तिवारी	डॉ. ललिता पराजपे
	द्वितीय पाली	डॉ. ए.के. भण्डारी	डॉ. उषा दुबे
2016	एकल	डॉ. निशा तिवारी	डॉ. आशा पाण्डे
	द्वितीय पाली	डॉ. निशा तिवारी	डॉ. आशा पाण्डे
2017	एकल पाली	डॉ. निशा तिवारी डॉ. बी.पी. अग्रवाल	डॉ. आशा पाण्डे
2018	— " —	डॉ. बी.पी. अग्रवाल	
2019	— " —	डॉ. सी.एन. शुक्ला	
2020 2021	कोविड 19	open Book online Exam.	

33

प्रति दायित्व बाध

मानसुखर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय,
जबलपुर (MOPD)

(स्वशासी परीक्षा आन्तरिक/बाह्य पर्यवेक्षक प्रतिवेदन)

(Report of External Observer / Internal Observer of Autonomous Examination)

सत्र - 2021

परीक्षा का समय :

दिनांक :/...../2021

1. परीक्षा विवरण :

क्रमांक	परीक्षा	वार्षिक/समेशरीर	विषय	प्रकार
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. उपयोग में आए कुल परीक्षा कक्ष :
3. परीक्षा कक्षों में बैठक व्यवस्था का स्तर
(सफाई, प्रकाश एवं वायु संचरण) :
4. परीक्षार्थियों को स्वच्छ जल की उपलब्धता :
5. परीक्षा परिसर, प्रसाधन गृहों की सफाई का स्तर :
6. कुल वीक्षक :
7. वीक्षकों की सजगता एवं वीक्षण कार्य के प्रति दायित्व बोध :
8. परीक्षा परिसर में परीक्षा से असंबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति :
9. प्रश्नपत्रों, उत्तर-पुस्तिकाओं एवं नकल प्रकरणों का रिकार्ड :
10. अन्य परीक्षा संबंधी टीप : -
.....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर
बाह्य पर्यवेक्षक

EXAM FORM

GOVERNMENT MANKUNWAR BAIA ARTS COMMERCE AUTONOMOUS COLLEGE FOR WOMEN, JABALPUR

(NAAC ACCREDITED A GRADE)

REGULAR/ATKT/SUPPLEMENTARY/EX (HICK THE CORRECT OPTION)

CLASS _____ YEAR 2021

ENROLMENT NO _____

ROLL NO _____

SUBJECTS/PAPERS OF EXAM 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

FATHER NAME OF THE STUDENT _____

(UPLOAD PHOTO)

FATHER'S NAME _____

CATEGORY [GEN/SC/ST/OBC/MINORITY(JAIN/SIKH/CHRISTIAN)] _____

MOTHER'S NAME _____

ADDRESS _____

MOB _____

5. IF APPEARING AS ATKT/SUPPL/EX STUDENT, THE DETAILS OF THE EXAM IN WHICH THE STUDENT WAS DECLARED AS ATKT/SUPPL/EX STUDENT (i) NAME OF EXAM _____ (ii) YEAR/SEM _____ (iii) YEAR OF EXAM _____

6. IF UFM CASE WAS REGISTERED AGAINST YOU IN EARLIER CLASSES _____, IF YES GIVE DETAILS: _____

THE DETAILS OF LAST EXAM PASSED:

NAME OF EXAM	ROLL NO	YEAR OF PASSING	NAME OF SCHOOL/COLLEGE	BOARD/UNIVERSITY	SUBJECTS OPTED	RESULT %

DECLARATION: THE INFORMATION GIVEN BY ME ABOVE IS CORRECT AND IF IT IS FOUND INCORRECT MY FORM CAN BE REJECTED BY THE PRINCIPAL. I GIVE AN UNDERTAKING THAT I WILL ABIDE BY ALL THE RULES OF THE EXAM AND WILL NOT RESORT TO INDISCIPLINE AND UFM

PLACE _____

DATE _____

SIGNATURE OF THE STUDENT(UPLOAD)

FOR OFFICE USE ONLY

DETAILS TO BE FILLED BY THE ACCOUNTANT

1. NAME OF EXAM _____ 2. MONTH & YEAR OF EXAM _____ 3. EXAM FEES _____ 4. RECEIPT NO _____

SIGNATURE OF ACCOUNTANT _____

PERMISSION BY THE PRINCIPAL

THE STUDENT IS PERMITTED TO APPEAR IN THE EXAM AS MENTIONED ABOVE

OR

THE STUDENT IS NOT PERMITTED TO APPEAR IN THE EXAM AS MENTIONED ABOVE DUE TO FOLLOWING REASONS _____

SIGNATURE OF THE PRINCIPAL _____

UPLOAD MARKSHEET OF THE LAST EXAM PASSED*

(THOSE WHO HAVE TAKEN MARKSHEET FROM THE COLLEGE)

File Name: EXAMFORMNEW

EXAM FORM
(LOCKDOWN)



कार्यालय प्राचार्य, शाराकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य
स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)

परीक्षा आवेदन पत्र

छात्रा का फोटो

छात्रा का मोबाईल नंबर :

1. छात्रा का नाम :
2. पिता का नाम :
3. कक्षा/परीक्षा का नाम :
4. छात्रा का रोल नंबर :
5. नमांकन क्रमांक :
6. विषय/प्रश्नपत्र :

1.
2.
3.
4.

छात्रा के हस्ताक्षर

छात्रा का मोबाईल नंबर :